



जनपद बिजनौर प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 13.06.2025

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 317/2025 धारा
69/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त किया**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.06.2025 को वादिया ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अफजल पुत्र शमशाद निवासी ग्राम कराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ गलत कार्य किया गया व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई तथा जान से मारने की भी धमकी दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 317/2024 धारा 69/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अफजल पुत्र शमशाद निवासी ग्राम कराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अफजल पुत्र शमशाद निवासी ग्राम कराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 मदनपाल सिंह राणा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

2.मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात
दिनांक- 13.06.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने 13 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा 13 वारंटी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व

पता:-

- 1.मौसम पुत्र सुनील कुमार पुत्र सुजापुरगढी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.रघुनाथ पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम भटौली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.सुरेश पुत्र नथन निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 4.सोनू पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद



बिजनौर ।

5.फरीद पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम अकबरपुर आँवला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

6.लवकुश पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

7.राकेश पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

8.रवि कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

9.नरेश कुमार पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

10.महेर सिंह पुत्र वंशो निवासी रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

11.जितेन्द्र पुत्र स्व० कश्मीरी निवासी खुशहालपुर मठेरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

12.सविता पुत्री जयप्रकाश निवासी ग्राम झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

13.शकुन्तला पत्नी राकेश निवासी झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1.प्रभारी निरी० संजय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

2.उ०नि० दीपक कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

3.उ०नि० त्रिवेन्द्र राठी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

3.मुख्य आरक्षी नितिन कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

4.आरक्षी अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

5.आरक्षी आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

6.महिला आरक्षी रीता थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना नांगल

दिनांक 13.06.2025

थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत महिला द्वारा लगाये गए आरोपो

दिनांक 06.06.2025 को वादिया अपने भाई व अपने गांव (ससुराल) के ही रहने वाले युवक के साथ थाना नांगल पर उपस्थित आयी तथा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है । वह अपनी मर्जी से युवक के साथ रहना चाहती है जिसमे उक्त युवक भी सहमत है ।

दिये गए प्रार्थना पत्र के क्रम मे महिला हेल्पडैस्क पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मी द्वारा वादिया की बयान वीडियो भी बनाई गई । जिसके उपरान्त वादिया अपने भाई की मौजूदगी में अपनी मर्जी से उपरोक्त युवक के साथ चली गई थी । जिसके बाद वादिया द्वारा उक्त युवक व उसके भाई के विरुद्ध दुष्कर्म आदि आरोप लगाते हुए थाना नांगल पर प्रार्थना पत्र दिया गया ।

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि वादिया अपनी मर्जी से युवक उपरोक्त के साथ गई थी जिसके बाद वादिया द्वारा युवक व उसके भाई पर दुष्कर्म के आरोप लगाये गए है । प्रकरण के संबंध मे प्रत्येक बिन्दु पर गहनता से जांच की जा रही है । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।